समाहरणालय बक्सर
बिहार सरकार
दूरभाष संख्या – 06183-227010
जिला जन-सम्पर्क कार्यालय
Email-id – dpro-bux@prdbihar.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति–01

बक्सर, दिनांक **13 मार्च 2019** – लोकसभा निर्वाचन–**2019** की घोषणा के उपरान्त आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। जिले में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी, बक्सर श्री राघवेन्द्र सिंह ने आदेश जारी किया है। किसी भी राजनीतिक दल के प्रचारार्थ सामग्री को पाए जाने पर उनके विरूद्व संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई किये जाने के साथ–साथ फ्लैक्स बैनर आदि के हटवाने में आए लागत को भी वसूला जाएगा। जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम व आदर्श आचार संहिता के तहत कुल चार एफ0आई0आर0 के मामले दर्ज कर लिए गए है। जिनमें ब्रहमपुर प्रखंड में एक एवं डुमरॉव के तीन मामले शामिल है।

प्रेस विज्ञप्ति–02

बक्सर, दिनांक **13 मार्च 2019** – लोक सभा निर्वाचन–**2019** के अवसर पर विभिन्न कोषांगो के दिये जा रहे प्रशिक्षणों के क्रम में आज दिनांक **13** मार्च **2019** को ई0वी0एम0 कोषांग के पदाधिकारियों एवं कर्मीगणों को ई0वी0एम0/वी0वी0पैट की तैयारी के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के द्वितीय सत्र में लाइव वेवकास्टिंग से संबंधित कर्मी एवं आपरेटर तथा वी0एस0एन0एल0 के कर्मी को जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एवं आई0 टी0 मैनेजर के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। लाईव वेवकास्टिंग संवेदनशील चिहिन्त किए गए मतदान केन्द्रों पर से किये जाने का प्रावधान है, जिसे कोई भी व्यक्ति कहीं से भी देख सकता है।

13/03/19

जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी
बक्सर।